संख्या-1002 /2025/3336/41-1-2025/CN-1799075-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

विषयः- इको टूरिज्म योजना के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र में धंधरौल डैम के पर्यटन विकास का कार्य की परियोजना को क्लोज/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-360509/DOTUP-ECO/12/2024-ECO, दिनांक 28 नवम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना को निरस्त करते हुए सी०एम०आई०एस० पोर्टल से विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इको टूरिज्म योजना के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में धंधरौल डैम के पर्यटन विकास का कार्य की परियोजना हेतु निर्गत पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-335/2024/982/41-1-2024-CN-1799075-2024, दिनांक 14 मार्च, 2024 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू० 350.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में तत्काल जमा कराते हुए चालान की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रभारी, एन०आई०सी० सेल (सी०एम०आई०एस०), मुख्यमंत्री कार्यालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नग परियोजना (पोर्टल कोड-202400002600265) को सी०एम०आई०एस० पोर्टल से डिलीट करने का कष्ट करें।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मिर्जापुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-71
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in